राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकः प.14(10)RSMSSB/अर्थना/म.बा.वि.(अनु. क्षेत्र)/2015/पार्ट–II/273 दिनांक : 27.06.2016

: : कार्यालय आदेश : :

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाऐं के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 एवं राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–1998 के अन्तर्गत पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा–2015 की परीक्षा दिनांक 20.12.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 06.01.2015 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों का अनुपस्थित रहने या अपात्र पाये जाने के कारण अस्थाई चयन निरस्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर निम्नलिखित 03 अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरियता कम से अस्थाई रूप से चयन किया जाता है :–

S. No.	MERIT NO	ROLL NO	NAME	CAT SEL
1.	40	414882	HINA RAJ CHOUHAN	GENF
2.	41	409500	KSHIPRA SHRIMALI	GENF
3.	520	400930	HEMLATA PARGI	STF

इन अस्थाई (Provisional) रूप से चयनित 03 अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच मूल दस्तावेजों से की जानी है। अस्थाई (Provisional) रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) भी लिया जाना है। अतः पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा–2015 में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 04.07.2016 को प्रातः 10. 00 बजे **निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर** पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें।

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावें :–

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर "अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश" एवं पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) पद के लिये दिनांक 07.07..2015 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग–अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटोप्रति स्वीकार नही की जायेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी **मूल प्रमाण–पत्र** एवं दस्तावेज तथा स्वंय का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्रो एवं दस्तावेजों की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(आर० के० मीना)
अध्यक्ष